रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 19, 1993/आश्विन 27, 1915
No. 626] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 19, 1993/ASVINA 27, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रमुख समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय

अधिसूचना

बम्बई, 7 अक्तूबर, 1992

सं 20/92-सीमाशुल्क (एन. टी.)

का.आ. 808(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 4-10-90 की अधिसूचना सं. 64/92 (एन. टी.) सीमाशुल्क द्वारा तथा दिनांक 18-6-1990 की अधिसूचना सं 34/90-सीमाशुल्क (एन.टी.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा-9 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिला, मोहोल तालुका के गाव देवडी को, शत प्रतिशत

निर्यातोन्मुख इकाई (100% ई.ओ.यू.) स्थापित करने के अभिप्राय हेतु भांडागारण स्थल घोषित करती है।

[फा. सं. VIII/40-27 पीसीयू/बीसीएक्स-II/92]
आर. के. थवानी, प्रमुख समाहर्ता

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

Bombay, the 7th October, 1992

No. 20/92-Customs(NT)

S.O. 808(E).—In exercise of the powers conferred by the Notification No. 34/90 Customs(NT) dated 18-06-1990 as amended by Notification No. 64/90 Customs(NT) dated 04-10-1990 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, Village Devadi, Tal. Mohol, Dist. Solapur in the state of Maharashtra, is hereby declared to be a Warehousing Stations under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the purpose of setting up hundred percent export oriented units (100% E.O.U.'s).

[F. No. VIII/40-27/PCU/BCX.II/92]

R. K. THAWANI, Principal Collector

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993